

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद- अरवल, बेतिया, बगहा एवं नरकटियागंज।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- बोधगया एवं साहेबगंज।

पटना, दिनांक-15/01/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 06 नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादंश सं०-.....१४ दिनांक-.....15/01/18 के आलोक में कुल राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकायों का नाम	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आकलित राशि	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	अरवल	नगर परिषद, अरवल	50,71,800.00	50,71,800.00
2	प० चम्पारण	नगर परिषद, बेतिया	1,46,77,800.00	1,46,77,800.00
3		नगर परिषद, बगहा	1,25,88,000.00	1,25,88,000.00
4		नगर परिषद, नरकटियागंज	54,49,800.00	54,49,800.00
		कुल (क)	3,77,87,400.00	3,77,87,400.00
5	गया	नगर पंचायत, बोधगया	37,81,800.00	37,81,800.00
6	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, साहेबगंज	26,33,400.00	26,33,400.00
		कुल (ख)	64,15,200.00	64,15,200.00
		कुल योग (क+ख)	4,42,02,600.00	4,42,02,600.00

कुल आवंटित राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र का उपयोग नगर निकायों द्वारा अपने शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- (क) डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- (ख) कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,
- (ग) कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- (घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- (ङ) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,
- (च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

3. उक्त आवंटित राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकायों के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। संबंधित नगर निकायों द्वारा राशि की निकासी कर राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 270 के आलोक में यथा TC फार्म संख्या- 42 में राशि की निकासी की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी० भी० नंबर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय बिहार को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

7. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :-

- (क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में आवंटित कुल राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 4 तक के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कुल राशि ₹377.87400 लाख (तीन करोड़ सतहत्तर लाख सतासी हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में आवंटित कुल राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 5 से 6 तक के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कुल राशि ₹64.15200 लाख (चौसठ लाख पंद्रह हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015 95 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-15/11/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 15/11/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 06 नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकायों का नाम	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आकलित राशि	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	अरवल	नगर परिषद, अरवल	50,71,800.00	50,71,800.00
2	प० चम्पारण	नगर परिषद, बेतिया	1,46,77,800.00	1,46,77,800.00
3		नगर परिषद, बगहा	1,25,88,000.00	1,25,88,000.00
4		नगर परिषद, नरकटियागंज	54,49,800.00	54,49,800.00
		कुल (क)	3,77,87,400.00	3,77,87,400.00
5	गया	नगर पंचायत, बोधगया	37,81,800.00	37,81,800.00
6	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, साहेबगंज	26,33,400.00	26,33,400.00
		कुल (ख)	64,15,200.00	64,15,200.00
		कुल योग (क+ख)	4,42,02,600.00	4,42,02,600.00

कुल स्वीकृत राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र का उपयोग नगर निकायों द्वारा अपने शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- (क) डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- (ख) कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,
- (ग) कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- (घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- (ङ) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,
- (च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकायों के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। संबंधित नगर निकायों द्वारा राशि की निकासी कर राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जायेगा। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 270 के आलोक में यथा TC फार्म संख्या- 42 में राशि की निकासी की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी० भी० नंबर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय बिहार को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

7. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :-

- (क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में स्वीकृत कुल राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 4 तक के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कुल राशि ₹377.87400 लाख (तीन करोड़ सतहत्तर लाख सतासी हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

3

(ख) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में स्वीकृत कुल राशि ₹442.02600 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख दो हजार छः सौ रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 5 से 6 तक के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कुल राशि ₹64.15200 लाख (चौसठ लाख पंद्रह हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-18/2015 के पृष्ठ सं०-.....102...../टि० पर दिनांक-.....०९-०१-२०१८..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....103...../टि० पर दिनांक-.....10-०१-२०१८..... को प्राप्त है।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015 94 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-11-11-18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।